निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी सुधारानी मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
6/2025	15.5.2025	13/1/26

ओम प्रकाश पुत्र रामप्रसाद जाति मीना निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर हाल निवासी नसिया कोलोनी, कीर पाडा, वा0नं0 21, गंगापुर सिटी ——प्रार्थी

बनाम

1. बाबू पुत्र भैरू, प्रजापत निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
2. मोहरबाई पुत्री भैरू , प्रजापत निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
3. रामसिंह पुत्र भैरू , प्रजापत निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
4. सुक्का देवी पत्नि स्व0 भैरू , प्रजापत निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
5. रामस्वरूप पुत्र जौहरी, प्रजापत निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
6. बृजलाल पुत्र नारायण, मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
7. प्रकाश पुत्र सम्पत, मीना निवासी पीलोदा तहसील वजीरपुर
8. गंगासहाय पुत्र लटूरया, बैरवा, निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
9. नवलकिशोर पुत्र गोवर्धन, कोली, निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
10. बत्तू पुत्र लटूरया, बैरवा, निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
11. रामफूल पुत्र लटूरया, बैरवा, निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
12. हरी पुत्र लटूरया, बैरवा, निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
13. देवीलाल पुत्र मेवा, कोली निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
14. नारायणलाल पुत्र मेवा, कोली निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
15. रामजीलाल पुत्र मेवा, कोली निवासी किशोरपुर तहसील वजीरपुर
16. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

श्री रवि कुमार यादव, एडवोकेट, अप्रार्थी नं0 8,10,11 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(ए) के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1065 रकबा 25 एवं ख0नं0 2005 रकबा 1.24 है0 ग्राम किशोरपुर में स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की उपरोक्त भूमि में आने—जाने के लिए प्रार्थी को कोई गैर मुमकिन रास्ता नहीं है। अभी तक प्रार्थी मेगा हाईवे वजीरपुर पीलोदा से 30 फीट चौडा रास्ता गांव की आबादी से गुजरने वाले रास्ते से निकल कर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 व 5 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:41 IST
Reason: SelfAttested

भूमि ख0नं0 2033 व 2034 की मेड पर होकर आगे चलकर अप्रार्थी संख्या 6, 7 की खातेदारी भूमि ख0नं0 6021/2032 रकबा 0.50 है0 व ख0नं0 6020/3220 रकबा 0.50 है0 की मेड से निकल कर भूमि ख0नं0 2003 रकबा 1.10 है0 की मेड से अपनी कृषि भूमि ख0नं0 1065 रकबा 1.25 है0 को कब्जा काश्त करता चला आ रहा है जो अप्रार्थी संख्या 8 ता 12 की सहखातेदारी की भूमि है तथा प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि ख0नं0 2005 रकबा 1.24 है0 के कब्जे काश्त एवं उपयोग व उपभोग में भूमि ख0नं0 1065 की उसी कार्नर मेड जिसमें होकर प्रार्थी काश्त करने आया था से वापस ख0नं0 2003 की मेड से होकर भूमि ख0नं0 2004 रकबा 1.05 है0 की मेड पर होकर अपने स्वामित्व व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 2005 रकबा 1.24 है0 को कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। भूमि ख0नं0 2004 अप्रार्थी सं0 13 ता 15 की सहखातेदारी की भूमि है। प्रार्थी जिस रास्ते का उपयोग व उपभोग कर रहा है को नक्शे में डोटेड लाइन से दर्शित किया है। प्रार्थी की उपरोक्त भूमि में आने जाने, सिंचाई के साधनों को लाने ले जाने एवं सिंचाई साधन ट्रेक्टर ट्रोली, बैलगाडी व अन्य के लाने ले जाने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक, सरल, सुलभ रास्ता नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि में होकर रास्ता पाने का अधिकारी है एवं इसके बदले में प्रार्थी अप्रार्थीगण को डी0एल0सी0 दर से जमीन की राशि देने को तैयार है एवं रास्ते की भूमि के बदले अपनी भूमि में से जमीन देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में डोटेड लाइन से दर्शित 16 फीट चौडा रास्ता गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होकर दिए जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7, 9, 13, 14, 15 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या 16 लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर से प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थी संख्या 8, 10, 11 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है एवं दिनांक 8.1.2026 को [illegible] द्वारा चाहा जा रहा रास्ता दिए जाने पर अपनी सहमति दी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2076 से 2079 खाता संख्या 14, 120, 145 ग्राम किशोरपुर, नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 406, 728, 328, 352 नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

अप्रार्थी संख्या 8, 10, 11 की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते के सम्बन्ध में तहसीलदार वजीरपुर से रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार वजीरपुर ने उनके कार्यालय के पत्रांक एल0आर0/2026/3 दिनांक 1.1.2026, पत्रांक एल0आर0/2026/4 दिनांक 1.1.2026 से अपनी रिपोर्ट भिजवाई है।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

अप्रार्थी संख्या 8, 10, 11 के विद्वान वकील ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है वह अपने आप में स्पष्ट नहीं है। प्रार्थी ग्राम किशोरपुर व ग्राम पीलोदा में स्थित उसकी खातेदारी की भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहता है इसके लिए उसे इन दोनों गांवो के नक्शे को मिलाकर अपना वैकल्पिक रास्ता नजरी नक्शे में दर्शाते हुए नजरी नक्शा प्रस्तुत करना चाहिए था जो उसने प्रस्तुत नहीं किया है। इसी प्रकार तहसीलदार वजीरपुर के पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/3 दि0 1.1.2026 एवं पत्र क्रमांक भू0अ0/2026/4 दिनांक 1.1.2026 के साथ जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें केवल पटवारी हलका पावटा व पटवारी हलका पीलोदा की ही रिपोर्ट है जबकि नियमानुसार यह रिपोर्ट राजस्व अधिकारी जो कम से कम भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर का हो, की होनी चाहिए थी। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा धारा 251(ए) राज0टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/1/26 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:24:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर